



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611



कोटा प्रस्ताव
100/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023

पत्रांक-19 /12-1 :देहरादून: दिनांक: 3-7 जून, 2024

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (के0),
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय :-मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-19/2018 के अन्तर्गत विधानसभा नानकमत्ता के ग्राम देवीपुरा से ज्ञानपुर गोढ़ी मोटर मार्ग एवं किमी0 2 पर 60 मीटर स्पान के आर0सी0सी0 पी0एस0सी0, गडर पुल के निर्माण हेतु 0.98 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। PROPOSAL NO. - FP/UK/ROAD/150531/2021

संदर्भ:-अपर सचिव, वन अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या-1426/X-3.23/1(88)/2023
दिनांक:-06.11.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि शासन द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक 1698/12-1 दिनांक 30.05.2024 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क्र. सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	प्रतिपूरक वनीकरण : (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिये 1960 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.96 ha. area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाय। (ख) नोडल अधिकारी पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र एवं क्षेत्र का नाम शासन में प्रस्तुत करेगी।	(क) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिये 1960 पौधों का रोपण कार्य एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) धनराशि रु0 8,79,630.00 (आठ लाख उन्नासी हजार छः सौ तीस) मात्र चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। (संलग्नक-1) (ख) प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन पभाग हल्द्वानी द्वारा वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं coordinates

9/12

		अंकित करते हुये गूगल मानचित्र संलग्न कर किये जा रहे हैं, जिसकी प्रति संलग्नक-2
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आव यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन एवं और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित एवं सर्वेक्षण, सीमांकन एवं और स्तंभन की लागत तथा 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु धनराशि अग्रिम रूप से कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। (संलग्नक-1 के अनुसार)
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WC (C) संख्या: 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998- एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006- एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.98 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त के अनुपालन में इस प्रस्ताव के तहत 0.98 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य रुपये 10,94,562.00 (दस लाख चौरानब्बे हजार पांच सौ बासठ) मात्र की धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। (संलग्नक-1 के अनुसार)
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं पातन होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 50 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रेषित किया गया है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की जायेगी। (संलग्नक-3)
7	DFO will inform the Nodal office if they pass any order for tree cutting and work commencement before state-II approval per guidelines para 11.2. Nodal will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किये जायेंगे।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
		प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा होने वाली धनराशि ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा की गई है। (संलग्नक-1 के अनुसार)

4	<p>प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आव यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन एवं और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।</p>	<p>अंकित करते हुये गूगल मानचित्र सलग्न कर किये जा रहे हैं, जिसकी प्रति योजन (संलग्नक-2)</p> <p>प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत तथा 10 वर्षों तक एवं और स्तंभन की लागत के कैंम्पा कोष रख-रखाव हेतु धनराशि अग्रिम रूप से कैंम्पा कोष में जमा कर दी गई है। (संलग्नक-1 के अनुसार)</p>
5	<p>शुद्ध वर्तमान मूल्य</p> <p>(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WC (C) संख्या: 202/1995 में 1A नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998- एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006- एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.98 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।</p>	<p>वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त के अनुपालन में इस प्रस्ताव के तहत 0.98 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य रुपये 10,94,562.00 (दस लाख चौरानब्बे हजार पांच सौ बासठ) मात्र की धनराशि कैंम्पा कोष में जमा कर दी गई है। (संलग्नक-1 के अनुसार)</p>
	<p>(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।</p>	<p>प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रेषित किया गया है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की जायेगी। (संलग्नक-3)</p>
6	<p>प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं पातन होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 50 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।</p>
7	<p>DFO will inform the Nodal office if they pass any order for tree cutting and work commencement before state-II approval per guidelines para 11.2. Nodal will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.</p>	<p>वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।</p>
8	<p>परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किये जायेंगे।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा होने वाली धनराशि ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा की गई है। (संलग्नक-1 के अनुसार)</p>

	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से पूर्ण कर ऑनलाईन अपलोड कर दिये गये हैं एवं सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में पूर्व में संलग्न कर प्रेषित कर दिये गये हैं।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनिमय साइनेज लगाए जायेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
12	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफ0सी0/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
17	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो लक्षित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

	नहीं की जायेगी।	
22	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-एफसी दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
23	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
24	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
25	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
26	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड कर उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

अतः वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी (नैनीताल)/प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में विषयांकित प्रकरण पर यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या- 19 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन को उनके सन्दर्भित पत्र दि० 06.11.2023 के क्रम में।
2. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, खटीमा, ऊधमसिंह नगर।

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220003 ई.मेल: cfwkum-forest-uk@nic.in
पत्र संख्या 1698 / 12-1 हल्द्वानी, दिनांक, 30 मई, 2024।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-

मा0 मु0 घोषणा संख्या-19/2018 के अन्तर्गत विधानसभा नानकमत्ता के ग्राम देवीपुरा से ज्ञानपुर
गोढ़ी मोटर मार्ग एवं किमी0 2 पर 60 मीटर स्पान के आर0सी0सी0 पी0एस0सी0, गर्डर पुल के
निर्माण हेतु 0.98 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:-

अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन, वन अनुभाग-3 के पत्रांक संख्या-1426/X-3-23/1(88)/2023
दिनांक 06.11.2023।

महोदय,

संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसके क्रम में प्रभागीय
वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा अपनी पत्र संख्या 6922/12-1 दिनांक 27.05.2024 से सैद्धान्तिक
स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी
वन प्रभाग, हल्द्वानी से प्राप्त आख्या मय संलग्नकों के संस्तुति सहित अग्रोत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा
रही है।
संलग्न-उपरोक्तानुसार।

कार्यालय
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून
पत्र संख्या 5388
पत्रांक 12-1
दिनांक 6-6-24

(डा० विनय भार्गव)

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

पत्रांक

1698

तददिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी को उनकी पत्र संख्या 6922/12-1
दिनांक 27.05.2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

उ.नि.सं.० प्रभारी नैनीताल
आ.का.कैर,

प.क.सं.०
5824

(डा० विनय भार्गव)

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

29/5/24



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तयई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

शीशगवाय वन परिसर, जेल रोड, हीरानपुर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल
E-mail : dfofe@rediffmail.com, Phone: 05946-251309, Fax: 05946-250298

पत्रांक 6922

/ 12-1

हल्द्वानी, दिनांक

27-05-2024

सेवा में,

संरक्षक, पश्चिमी वन अख्य भवन,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय:-
ख्या 5928
अ 12-1
20-5-24

मा0 मु0 घोषणा संख्या-19/2018 के अन्तर्गत विधानसभा नानकमत्ता के ग्राम देवीपुरा से ज्ञानपुर गोढी मोटर मार्ग एवं किमी0 2 पर 60 मीटर स्थान के आर0सी0सी0 पी0एस0सी0, गर्डर पुल के निर्माण हेतु 0.98 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- आपका पत्रांक-1619/7सी0 दिनांक-20.05.2024 एवं प्रयोक्ता अभिकरण का पत्रांक-753/7सी0 दिनांक-30.03.2024।(संलग्न-1)

महोदय

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर सैद्धान्तिक शर्तों की अनुपालन आख्या पुनः प्रेषित की जा रही है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क0 सं0	शर्तें	अनुपालन
01	वन भूमि की विधिक परिस्थिती नहीं बदली जायेगी	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
02	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
03	प्रतिपूरक वनीकरण: क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1960 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.96 है0 (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातीय को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाये।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए रू0 8,79,630/-CAMPA के खाता संख्या -5201012637437281NR3712 में जमा कर दी गई है। (संलग्न-2)

ख) नोडल अधिकारी पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र एवं क्षेत्र का

उक्त बिन्दु का अनुपालन में दक्षिणी जौलासाल वन क्षेत्र के सुदलीमठ प्रथम कक्ष सं0 4अ में रिक्त स्थान में 1960 पौध 1.960 है0 में पौधारोपण किया

	नाम शासन में प्रस्तुत करेंगी।	जाना है। जिसका पौधारोपण योजना के साथ नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र प्रेषित किया जा रहा है।(संलग्न-3)
04	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
05	<p>शुद्ध वर्तमान मूल्य</p> <p>(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में 1A नंबर 556 दिनांक 30.10.2002 ए 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी.(Pt.2) दिनांक 18.09.2003, एवं 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006, 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 एवं 5-3/2011-एफ.सी.(Vol-1) दिनांक 06.01.2022 में जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.98 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूली करेगी।</p> <p>(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि इस प्रस्ताव के तहत 0.98 हे. वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य रू0 1094562.00/-CAMPa के खाता संख्या -520101263743728INR3712 में जमा कर दी गई है। (संलग्न-1)</p> <p>प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तन वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि यदि कोई हो को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किया जायेगा, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका एक शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।</p>
06	प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार प्रति है0 50 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।

	पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	
07	DFO will inform Nodal office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before state&ll approval as per guidelines para 11-2 Nodal will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	उक्त बिन्दु का अनुपालन दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
08	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक, वनीकरण कोश प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
09	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाणपत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा जो वनभूमि प्रस्ताव में संलग्न है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियम साईनेज लगाए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
12	सीडब्लूएलडब्लू/एनबीडब्लूएल/एफ0सी0/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।

16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषत वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि किसी भी प्रकार की वन लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग न करके सिर्फ वैकल्पिक ईंधन उपयोग किया जान सुनिश्चित किया जायेगा।
17	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा।	उक्त बिन्दु का अनुपालन दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
19	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तित की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
20	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि वन भूमि कर उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जायेगा।
21	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिती में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिती में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
22	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाई होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि सभी शर्तों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
23	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि शर्त का पालन किया जायेगा।

24	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि शर्त का पालन किया जायेगा।
25	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालयी / आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना नोडल अधिकारी / प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि शर्त का पालन किया जायेगा।
26	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि शर्त का पालन किया जायेगा।

संलग्न-उपरोक्तानुसार



(हिमांशु बागरी)


प्रभागीय वनाधिकारी

तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

पत्रांक 6922/12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी जनपद ऊधमसिंह नगर।
3. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 खटीमा, ऊधम सिंह नगर।



(हिमांशु बागरी)

प्रभागीय वनाधिकारी,

तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, खटीमा
(ऊधम सिंह नगर)



उत्तराखण्ड वन विभाग
DESIGN KA SARU

eepwdkhatima@gmail.com

पत्रांक : 753 / 7सी0

दिनांक :- 30/03/2024

सेवा में,

प्रमागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी, नैनीताल

विषय :- मा0 मु0 घोषणा संख्या-19/2018 के अन्तर्गत विधानसभा नानकमत्ता के ग्राम देवीपुरा से ज्ञानपुर गौडी मोटर मार्ग एवं किमी0 02 पर 60 मी0 स्पान के आर0सी0सी0, पी0एस0सी0 गर्डर पुल के निर्माण हेतु 0.98 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक संख्या 3465/12-1 हल्द्वानी दिनांक 21.11.2023 एवं अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन, देहरादून का पत्र संख्या 1426/X-3-23/1(88)/2023 वन अनुभाग-3 दिनांक 06.11.2023।

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1426/x-3-23/1(88)/2023 वन अनुभाग-03, देहरादून दिनांक 06.11.2023 द्वारा विषयक प्रस्ताव के सापेक्ष सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के सापेक्ष अक्षरशः अनुपालन आख्या निम्नवत नियत प्रारूप में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है -

Sl. No.	Conditions	Compliance
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
3	प्रतिपूरक वनीकरण : (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1960 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.96 है0 (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें। (ख) नोडल अधिकारी पौधरोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र एवं क्षेत्र का नाम शासन में प्रस्तुत करेगी।	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये धनराशि रू0 879630.00 मात्र यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा खटीमा के माध्यम से CAMPA COMPENSATORY AFFORESTATION FUND CAF (A/C ID- 520101263743728 INR 03712) में दिनांक 30.03.2024 को जमा करायी जा चुकी है। (ख) वनविभाग से सम्बन्धित है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य: (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या-202/1995 में 1A नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक-5-1/1998-एफ0सी0 (pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006, 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 एवं 5-3/2011-एफ0सी0 (Vol-I) दिनांक 06-01-2022 में जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से प्रस्ताव के तहत 0.98 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 वसूल करेगी।	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 के लिये धनराशि रू0 1094562.00 मात्र यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा खटीमा के माध्यम से CAMPA COMPENSATORY AFFORESTATION FUND CAF (A/C ID- 520101263743728 INR 03712) में दिनांक 30.03.2024 को जमा करायी जा चुकी है।

	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा।	(ख) प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।
6	प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार प्रति है० 50 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
7	DFO will inform Nodal office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before state&ll approval as per guidelines para 11-2- Nodal will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	वन विभाग से सम्बन्धित है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त वन केवल ई-पोर्टल (http://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किया जाएगा।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
9	एफ०आर०ए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफ०आर०ए० 2006 का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा जो वनभूमि प्रस्ताव में संलग्न है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
11	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाए जाएंगे।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
12	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफ०सी०/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
17	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी की निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर०सी०सी० पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
19	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तित की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
20	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
21	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति को बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।

22	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-एफ०सी० दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
23	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
24	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
25	यदि कोई सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालयी/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना नोडल अधिकारी/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
26	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।

उपरोक्त अनुपालन आख्या संलग्नों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषयक प्रस्ताव की विधिवत स्वीकृति (स्टेज-2) हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें जिससे कि इस महत्वपूर्ण परियोजना का कार्य समयानुसार पूर्ण किया जा सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, खटीमा
(ऊधम सिंह नगर)
दिनांक :- / / 2024

पत्रांक : / 7सी०

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित :-

1. मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, हल्द्वानी, नैनीताल।
2. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लो०नि०वि० रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)।
3. सहायक अभियन्ता द्वितीय, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, खटीमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, खटीमा
(ऊधम सिंह नगर)

Challan for collection of CAMPA fund
 Date : 29-01-2024

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	District Youth Services & Sports Hamirpur
PIF/Application No.	61150531428
MoEF/SG File No.	1(88)/23
Address.	Construction Division PWD Khatima Hamirpur
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdkhatima@gmail.com 9927953807 0--
Amount(in Rs)	1974192/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words Nineteen Lakh Seventy-Four Thousand One Hundred and Ninety Two Rupees Only

अधिसारी अभियन्ता
 निर्माण खाण्ड लो०नि०वि०
 खटीमा

Depositor Signature (Signature)	Bank Official (Signature)
Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

Challan for collection of CAMPA fund
 Date : 29-01-2024

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	District Youth Services & Sports Hamirpur
PIF/Application No.	61150531428
MoEF/SG File No.	1(88)/23
Address.	Construction Division PWD Khatima Hamirpur
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdkhatima@gmail.com 9927953807 0--
Amount(in Rs)	1974192/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words Nineteen Lakh Seventy-Four Thousand One Hundred and Ninety Two Rupees Only

Depositor Signature (Signature)	Bank Official (Signature)
Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpde@unionbankofindia.bank

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Handwritten signature and date: 29/1/2024

Account Ledger Inquiry

Help

A/c. ID	520101263743728	INR	03712	STATE CAMPA COMPENSATORY AFFORESTATION FUND CAF
A/c. Status	ACTIVE			
A/c. Open Date	02-05-2011			
GL Subhead	12100			
Opening Bal.	INR	82,83,21,342.18	CR.	
Closing Bal.	INR	4,04,36,665.18	CR.	
Funds in Clg.	INR	0.00	CR.	

A/c. Status Date	27-10-2017
A/c. Close Date	
A/c. Type	CUSTOMER ACCOUNT
Available Amt.	INR 4,04,36,665.18 CR.
Effective Available Amt.	INR 4,04,36,665.18 CR.
Float Bal.	INR 0.00 CR.

Tran. Date	Value Date	Instr. No.	Particulars	CCY	Debit Amt.	Credit Amt.	Bal.
09-04-2024	09-04-2024		TO CAMPA MAIN ACCOUNT	INR	79,69,05,624.00		4,04,36,665.18CR.
09-04-2024	09-04-2024		CAM5089 CAPS CREDIT	INR		61,93,588.00	83,73,42,289.18CR.
08-04-2024	01-04-2024		520101263743728: Int. Pd: 01-01-2024 to 31-03-2024	INR		8,53,167.00	83,11,48,701.18CR.
08-04-2024	08-04-2024		CAM5089 CAPS CREDIT	INR		19,74,192.00	83,02,95,534.18CR.

OK



12-04-2024

पथ का नाम- दक्षिणी जौलासाल वन क्षेत्र अन्तर्गत ज्ञानपुर गौड़ी से पीपलगोला तक
 रोपण मार्ग निर्माण हेतु 0.98 है० वन भूमि के बदले रिक्त स्थान में 1960 पौध यांत्रिक
 विधि से रोपण हेतु 1.960 है० प्राक्कलन (वर्ष 2024-25)

रोपण क्षेत्र- सुदलीमठ प्रथम कक्ष सं० 4अ
 प्रभाग- तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
 विकास खण्ड- सितारगंज
 क्षेत्रफल- सकल- 2.24 है०, शुद्ध- 1.96 है०
 जी०पी०एस० N - 29° 01' 58.2" E - 079° 52' 31.6"

रोपित पौध- 1960 पौध।
 राजि- दक्षिणी जौलासाल वन क्षेत्र।
 जिला- ऊधम सिंह नगर।
 परिधि- 631 मीटर
 समुद्र तल से ऊँचाई- 221 मीटर

क्र० सं०	कार्य का विवरण	इकाई है० में	ईकाई दर	कुल घनराशि
1	साइट स्पेसिफिक प्लान (सर्वे डिमाकेशन, के०एम०एल० फाइल तैयार करना, मृदा परीक्षण कार्य)	1.96 है०	1000.00	1960.00
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी काटना, सफाई आदि समस्त कार्य) साधारण झाड़ी	1.96 है०	11070.00	21697.20
3	गड्डो का समरेखण चूने की कीमत सहित	1.96 है०	343.00	672.28
4	गड्डा खुदान (0.30X 0.30 X 0.45) मीटर	1.96 है०	8442.00	16546.32
5	तारबाड-			
	(अ) तार की कीमत (परिमाण 1100 मीटर) मात्रा- 6.30 कु०	1.96 है०	9026.00	17690.96
	(ब) तार लगाने का परिश्रमिक	1.96 है०	1716.00	3363.36
6	सी० सी० पोल की बनवाई (367 पोल)	1.96 है०	15944.00	31250.24
	आर०सी०सी० पोल का दुलान एवं स्थापना	1.96 है०	3218.00	6307.28
	तारबाड के साथ तीन लड़ सोलर फैंसिंग	1.96 है०	11500.00	22540.00
7	पौधों का मूल्य 1100X6.00=1960 पौध	1.96 है०	10826.00	21218.96
8	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य	1.96 है०	10000.00	19600.00
9	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण- 0.50 प्रतिशत	1.96 है०	428.00	838.88
10	श्रम कल्याण कार्य- 0.50 प्रतिशत	1.96 है०	428.00	838.88
11	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय- 1 प्रतिशत	1.96 है०	855.00	1675.80
12	कार्यालय व्यय- स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर- 1 प्रतिशत	1.96 है०	855.00	1675.80
13	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत	1.96 है०	1711.00	3353.56
प्रथम वर्ष का योग-				171229.52

या-				
क्र० सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई दर	कुल घनराशि
द्वितीय वर्ष				
1	गड्डो का खाद/कीटनाशक मिलाकर भरण	1.96 है०	1280.00	2508.80
2	पौधों का मूल्य (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित)	1.96 है०	2926.00	5734.96
3	पौध दुलान, नर्सरी से मौके तक (पौध की लदाई उतराई सहित 10 कि०मी० से अधिक)	1.96 है०	5254.00	10297.84
4	पौधों का रोपण स्थानीय दुलान सहित	1.96 है०	3836.00	7518.56
5	सिंचाई व्यवस्था (बोरिंग, आर्टिजन, डीजल इत्यादि)	1.96 है०	10383.00	20350.68
6	निराई-गुडाई प्रथम	1.96 है०	3016.00	5911.36
	निराई-गुडाई द्वितीय	1.96 है०	2413.00	4729.48

निराई-गुडाई तृतीय				
7	वृक्षारोपण उपरान्त झाड़ी कटान/क्षेत्र की सफाई 2 बार	1.96 है०	1508.00	2955.68
8	निरीक्षण बटिया बनाना	1.96 है०	4786.00	9380.56
9	कर्मचारियों/श्रमिकों हेतु छप्पर	1.96 है०	690.00	1352.40
10	साइन बोर्ड लगाना (3X4 फीट) कम्प्लीट कार्य	1.96 है०	2000.00	3920.00
11	तारबाड के बाहर अग्नि सुरक्षा कार्य	1.96 है०	250.00	490.00
12	देख-रेख व रख-रखाव कार्य रोपण वर्ष में 8 माह	1.96 है०	243.00	476.28
13	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण- 1 प्रतिशत	8.00 माह	9792.00	78336.00
14	श्रम कल्याण कार्य- 0.50 प्रतिशत	1.96 है०	478.00	936.88
15	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय- 1 प्रतिशत	1.96 है०	239.00	468.44
16	कार्यालय व्यय- स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर- 1 प्रतिशत	1.96 है०	478.00	936.88
17	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत	1.96 है०	957.00	1875.72
द्वितीय वर्ष का योग-				159117.40
या-				159117.00

वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख-रखाव (10 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय के साथ)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई दर	कुल धनराशि
1	वृक्षारोपण क्षेत्र की देख-रेख का पारिश्रमिक 01 श्रमिक 12 माह	12.00 माह	10771.20	129254.40
2	20 प्रतिशत पौधों की क्षतिपूर्ति पौध की कीमत व दुलान कार्य	1.96 है०	3799.40	7446.82
3	निराई-गुडाई	1.96 है०	2654.30	5202.43
4	घास दबाने हेतु झाड़ी कटान/क्षेत्र की सफाई (वर्ष में 2 बार)	1.96 है०	5262.40	10314.30
5	तारबाड के बाहर अग्नि सुरक्षा कार्य	1.96 है०	291.50	571.34
6	तारबाड/सोलर फैंसिंग मरम्मत	1.96 है०	379.50	743.82
7	सिंचाई व्यवस्था (बोरिंग, आर्टिजन, डीजल इत्यादि)	1.96 है०	1100.00	2156.00
8	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण- 1 प्रतिशत	1.96 है०	283.80	556.25
9	श्रम कल्याण कार्य- 0.50 प्रतिशत	1.96 है०	141.90	278.12
10	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय- 1 प्रतिशत	1.96 है०	283.80	556.25
11	कार्यालय व्यय- स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर- 1 प्रतिशत	1.96 है०	283.80	556.25
12	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत	1.96 है०	568.70	1114.65
योग-				158750.64
या-				158750.00

वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख-रखाव (10 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय के साथ)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई दर	कुल धनराशि
1	वृक्षारोपण क्षेत्र की देख-रेख का पारिश्रमिक 01 श्रमिक 12 माह	12.00 माह	11848.32	142179.84
2	निराई-गुडाई	1.96 है०	2919.73	5722.67

	घास दबाने हेतु झाडी कटान/क्षेत्र की सफाई (वर्ष में 1 बार)	1.96 है0	2631.20	5157.15
4	तारबाड के बाहर आग लाईन सफाई	1.96 है0	320.65	628.47
5	तारबाड/सोलर फेन्सिंग मरम्मत	1.96 है0	417.45	818.20
6	सिंचाई व्यवस्था (बोरिंग, आर्टिजन, डीजल इत्यादि)	1.96 है0	1210.00	2371.60
7	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण- 1 प्रतिशत	1.96 है0	209.00	409.64
8	श्रम कल्याण कार्य- 0.50 प्रतिशत	1.96 है0	104.50	204.82
9	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय- 1 प्रतिशत	1.96 है0	209.00	409.64
10	कार्यालय व्यय- स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर- 1 प्रतिशत	1.96 है0	209.00	409.64
11	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत	1.96 है0	418.00	819.28
योग-				159130.96
या-				159130.00

वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव (10 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय के साथ)

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई दर	कुल घनराशि
1	वृक्षारोपण क्षेत्र की देख-रेख का पारिश्रमिक 01 श्रमिक 12 माह	12.00 माह	13033.15	156397.80
2	तारबाड के बाहर आग लाईन सफाई	1.96 है0	352.72	691.33
3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण- 1 प्रतिशत	1.96 है0	151.80	297.53
4	श्रम कल्याण कार्य- 0.50 प्रतिशत	1.96 है0	75.90	148.76
5	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय- 1 प्रतिशत	1.96 है0	151.80	297.53
6	कार्यालय व्यय- स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर- 1 प्रतिशत	1.96 है0	151.80	297.53
7	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत	1.96 है0	304.70	597.21
योग-				158727.69
या-				158727.00

वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव (10 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय के साथ)

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई दर	कुल घनराशि
1	वृक्षारोपण क्षेत्र की देख-रेख का पारिश्रमिक 01 श्रमिक 12 माह	12.00 माह	14336.47	172037.64
2	तारबाड के बाहर आग लाईन सफाई	1.96 है0	387.99	760.46
3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण- 1 प्रतिशत	1.96 है0	166.98	327.28
4	श्रम कल्याण कार्य- 0.50 प्रतिशत	1.96 है0	83.49	163.64
5	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय- 1 प्रतिशत	1.96 है0	166.98	327.28
6	कार्यालय व्यय- स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर- 1 प्रतिशत	1.96 है0	166.98	327.28
7	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत	1.96 है0	335.17	656.93
योग-				174600.52
या-				174600.00

वृक्षारोपण का पंचम वर्ष का रख-रखाव (10 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय के साथ)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई दर	कुल धनराशि
1	वृक्षारोपण क्षेत्र की देख-रेख का पारिश्रमिक 01 श्रमिक	12.00 माह	15770.11	189241.32
2	तारबाड के बाहर आग लाईन सफाई	1.96 है०	426.79	836.51
3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण- 1 प्रतिशत	1.96 है०	183.68	360.01
4	श्रम कल्याण कार्य- 0.50 प्रतिशत	1.96 है०	91.84	180.01
5	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन	1.96 है०	183.68	360.01
6	कार्यालय व्यय- स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर- 1 प्रतिशत	1.96 है०	183.68	360.01
7	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत	1.96 है०	368.69	722.63
योग-				192060.51
या-				192060.00

वृक्षारोपण का षष्ठम वर्ष का रख-रखाव (10 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय के साथ)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई दर	कुल धनराशि
1	तारबाड के बाहर आग लाईन सफाई	1.96 है०	469.46	920.14
2	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत	1.96 है०	405.56	794.90
योग-				1715.04
या-				1715.00

वृक्षारोपण का सप्तम वर्ष का रख-रखाव (10 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय के साथ)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई दर	कुल धनराशि
1	तारबाड के बाहर आग लाईन सफाई	1.96 है०	516.41	1012.16
2	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत	1.96 है०	446.11	874.38
योग-				1886.54
या-				1886.00

वृक्षारोपण का अष्टम वर्ष का रख-रखाव (10 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय के साथ)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई दर	कुल धनराशि
1	तारबाड के बाहर आग लाईन सफाई	1.96 है०	568.05	1113.38
2	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत	1.96 है०	490.72	961.81
योग-				2075.19
या-				2075.00

वृक्षारोपण का नवम वर्ष का रख-रखाव (10 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय के साथ)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई दर	कुल धनराशि
1	तारबाड के बाहर आग लाईन सफाई	1.96 है०	624.86	1224.73
2	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत	1.96 है०	539.79	1057.99
योग-				2282.71
या-				2282.00

वृक्षारोपण का दशम वर्ष का रख-रखाव (10 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय के साथ)


क्र० सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई दर	कुल धनराशि
1	तारबाड के बाहर आग लाईन सफाई	1.96 है०	687.34	1347.19
2	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत	1.96 है०	593.77	1163.79
योग-				2510.98
या-				2510.00


प्रति हेक्टेयर औसत व्यय- 604122.96


वृक्षारोपण क्षेत्र का क्षेत्रफल कम होने के कारण वृक्षारोपण की सफलता के लिए रोपण रक्षक पूरे वर्ष भर रखा जाना आवश्यक है, जिस आधार पर प्रति है० व्यय निर्धारित सिलिंग से अधिक आ रहा है।

वर्षवार सारांश

विवरण	धनराशि
प्रथम वर्ष- अग्रिम मृदा कार्य	171229.00
द्वितीय वर्ष- वृक्षारोपण कार्य	159117.00
तृतीय वर्ष- अनुरक्षण प्रथम वर्ष	158750.00
चतुर्थ वर्ष- अनुरक्षण द्वितीय वर्ष	159130.00
पंचम वर्ष- अनुरक्षण तृतीय वर्ष	158727.00
षष्ठम वर्ष- अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष	174600.00
सप्तम वर्ष- अनुरक्षण पंचम वर्ष	192060.00
अष्टम वर्ष- अनुरक्षण षष्ठम वर्ष	1715.00
नवम वर्ष- अनुरक्षण सप्तम वर्ष	1886.00
दशम वर्ष- अनुरक्षण अष्टम वर्ष	2075.00
एकादश वर्ष- अनुरक्षण नवम वर्ष	2282.00
द्वादश वर्ष- अनुरक्षण दशम वर्ष	2510.00
कुल योग-	1184081.00


(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी


(सन्तोष कुमार पन्त)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
सितारगंज


(के० आर० टम्टा)
वन क्षेत्राधिकारी
द० जौलासाल वन क्षेत्र

से
ईर
को

23

मंत
नी
पी

नन

जन

भाग
का
हेतु
दुपे
राख
ध्यम
है।

भाग
के
पण
ates

1



Lon hddd°mm.mmm' WGS 84

E79° 52.550' E79° 52.575' E79° 52.600' E79° 52.625'

N29° 02.050'
N29° 02.025'
N29° 02.000'
N29° 01.975'
N29° 01.950'
N29° 01.925'
N29° 01.900'

N29° 02.050'
N29° 02.025'
N29° 02.000'
N29° 01.975'
N29° 01.950'
N29° 01.925'

रोपण क्षेत्र- सुदलीमठ प्रथम कक्ष सं० 4अ
प्रभाग- तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
विकास खण्ड- सितारगंज
क्षेत्रफल- सकल- 2.24 है०, शुद्ध- 1.96 है०
परिधि- 631 मीटर



Signature
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग,
हल्द्वानी

Signature
उप प्रभागीय वनाधिकारी
सितारगंज

Worldwide Autoroute DEM Basemap NR SE
© (c) MapmyIndia 2015
© Courtesy of National Oceanic and Atmospheric Administration / National Ocean Service 2015
© Garmin Ltd. and its Subsidiaries 2015
© National Land Survey of Iceland 2015
© U.S. Dept. of Transportation 2015



TN MN
0.6
01-01-2010

Internal Storage

Signature
क्षेत्रीय वनाधिकारी
दक्षिणी जोलासाल वन क्षेत्र
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी


Signature
(जितेंद्र सिंह बोरा)
अनु० अधिकारी
सुदलीमठ 1 अनुभाग


Signature
शुभम कुमार
वन क्षेत्र अधिकारी
सुदलीमठ 1 अनुभाग




उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ज्ञानपुर गौड़ी से पीपलगोला तक सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु स्थानान्तरित की जाने वाली 0.98 है० के सापेक्ष दक्षिणी जौलासाल वन क्षेत्र के अन्तर्गत सुदलीमठ प्रथम उत्तरी बीट कक्ष संख्या 4अ कुल क्षेत्रफल 1.96 है० में वृक्षारोपण हेतु वन भूमि उपयुक्त रहेगी।


प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग,
हल्द्वानी


उप प्रभागीय वनाधिकारी
सितारगंज उप वन प्रभाग


वन क्षेत्राधिकारी
द० जौलासाल वन क्षेत्र
सुदलीमठ